न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 34 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. लाधूराम पुत्र सदराम 2. ठाकराराम पुत्र सदराम जाति विश्नोई निवासी छछीवेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर		1. अणसीदेवी पत्नी जगराम 2. पारूदेवी पत्नी भारमलराम 3. श्रीराम पुत्र गोकलाराम 4. मीरादेवी पत्नी गोकलाराम 5. बावूडी पत्नी हरू 6. तुलछी पत्नी सदराम 7. सुरताराम पुत्र कौशलाराम 8. निम्बाराम पुत्र कौशलाराम 9. करनाराम पुत्र कौशलाराम 10. गंगाराम पुत्र कौशलाराम 11. सोहनलाल पुत्र हरू 12. मांगीलाल पुत्र हरू 13. रामेश्वरलाल पुत्र जगराम 14. अणसी पुत्री जगराम 15. ओमी पुत्री जगराम 16. रामप्यारी पुत्री जगराम 17. भगवती पुत्री जगराम उतरदाता संख्या 16 व 17 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता शायती पत्नी जगराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	18. शायन्ती पत्नी जगराम जातियान विश्नोई निवासी छछीबेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 19. तहसीलदार धनाऊ जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 132/2022 बअनवान अणसीदेवी वगैरा बनाम श्रीराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री लाधूराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—13.11.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 921/850 रकबा 11.8654 हैक्टयर मौजा छछीबेरी तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 845 व 839 मौजा छछीबेरी पटवार क्षेत्र भूणिया तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर प्रार्थीगण के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ते है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्व हो जाता है, क्योंकि उक्त विप्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खेत मे से चलने वाला रास्ता प्रार्थी के सड़क तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस जारी तक नहीं किये है परन्तु पेशी तारीख दिनांक 27.03.2023 की आदेशिका में विप्रार्थीगण नोटिस प्राप्त, अंकित कर दिया। जबकि तामिल कुन्निदा अपीलांटगण के नोटिस लेकर कभी उसके घर कभी नहीं आया तथा न ही डाक से कोई नोटिस प्राप्त हुऐ, अपीलांटगण को इस प्रकरण के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डाक के माध्यम से नोटिस भेजना बताकर उसके आधार पर ही अपीलांटगण के विरूद्ध दिनांक 27.03.2023 को ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जबकि डाक से नोटिस मिलने की सूचना या ए.डी. पावती पत्रावली में मौजूद नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा मौका रिपोर्ट तहसीलदार धनाऊ से तलब कर दी गई जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया, जिस पर आर आई भूणिया व हल्का पटवारी ने मौके पर जाये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदाता संख्या 01 व 02 से निजी लाभ प्राप्त करते हुए उनके कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार कर बिना अपीलांटगण को कोई सूचना दिये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जबकि अपीलांट के उक्त मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर या अंगुष्ठ निशान नहीं है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांटगण के खेत खसरा संख्या 845 में से रास्ता निकाला जाकर उक्त भूमि को दो छोटे बड़े टुकड़ों में विभाजित किया गया है जिसके एक तरफ ज्यादा रकबा रखा गया है तथा दूसरी तरफ कम रकबा रखा गया है जिसकी वजह से अपीलांटगण के रास्ते के दूसरी तरफ भी भूमि हिस्से में आयेगी जिसमें काश्त करना आसानी नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 845 के एकदम बीचोंबीच में अर्थात रास्ते के दोनों तरफ समान रकबा रखते हुए रास्ता निकाला जाना विधि सम्मत था। खसरा संख्या 845 के एकदम बीचोंबीच दानों तरफ समान रकबा रखते हुए रास्ता निकालने के आदेश पारित किये जाते है तो अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी का दोनों भाईयों के आपसी बंटवारा हा चुका है। मौके पर जहां रास्ता चल रहा था वहां ही दिया है तथा रास्ता मौके पर आज भी मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समक्ष विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 से 10 ने रास्ता देने हेतु सहमति दी तथा रास्ते के रूप में प्रस्तावित भूमि को अपने हिस्से में से कम करने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा हस्तागत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। खसरा संख्या 845 के एकदम बीचोंबीच दोनों तरफ समान रकबा रखते हुए रास्ता निकालने हेतु अपीलांटस द्वारा सहमति दी गई उसके अनुसार रास्ता दिया जाता है तो हम उतरदातागण को कोई आपति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर उतरदाता/प्रार्थीगण के खातेदारी खेत तक आवागमन हेतु रास्ता प्रदान किया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में वाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु कोई निकटतम रास्ते का विकल्प नहीं है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सेड़वा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 132/2022 बअनवान अणसीदेवी वगैरा बनाम श्रीराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार धनाऊ को आदेशित किया जाता है कि उतरदाता की खातेदारी में आने जाने हेतु प्रदत्त रास्ते को नियमानुसार सार्वजनिक आवागमन हेतु तुरंत प्रभाव से खुलवा कर सुचारू करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर